न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	55/2023	08.11.2023	18/2025 (2025/51)	15.01.2025	27.02.2026	1 लगायत 11

1. लक्खीराम पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास।
2. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओं, गंगापुर सिटी हाल एस0डी0ओ0 बामनवास।

– अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. प्रार्थी पक्ष की और से:– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा
2. अप्रार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम श्योसिंहपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 0.21 है0 व खं0नं0 336 रकबा 1.00 है0 गैरसायल सं0 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 04.06.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 04.06.1986 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । अप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर उभय पक्षों की सहमति पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से फोड व छल कपट द्वारा ग्राम श्यामसिंहपुरा तहसील बामनवास मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 163 रकाब 0.21 है0 व खं0नं0. 336 रकबा 1.00 है0 ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास का दिनांक 04.06.1986 को अपने नाम गलत रूप से आवंटन करवा लिया तथा अप्रार्थी संख्या 2 चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस०डी० ओ० गंगापुर [illegible] हाल एस०डी०ओ० बामनवास द्वारा अप्रार्थी संख्या। रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति [illegible] निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के साथ साज कर दिनांक 04.06.1986 [illegible] हाल आराजी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

163 रकाब 0.21 है0 व खं0नं0. 336 रकबा 1.00 है0 ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे से विधि विरूद्व तरीके से आवंटन नियमो के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या के हक मे आवंटन किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्त किये जाने बावत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है उक्त आवंटन हर हाल मे काबिले निरस्तनीय है।

मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यो के परे होने से आवंटन निरस्तनीय है । भू आवंटन नियम 1970 कानून बनाते समय सरकार ने स्पष्ट पैरामीटर तय किये कि कृषि भूमि के आवंटन के लिए आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा और उस आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष उपजिला कलेक्टर होगा तथा उस समिति के सदस्य भी होंगे उक्त आवंटन सलाहकार समिति का गठन होने के बाद आवंटित भूमि की उद्‌घोषणा 15 दिन पूर्व किया जाना होगा आवंटन की कुछ अन्य शर्ते पात्रता भी रखी गयी थी। आवंटन की प्रमुख शर्तों में आवंटन होने के वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भूमि काश्त करेगा शेष भूमि द्वितीय वर्ष मे काश्त करेगा भूमि सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे के निरस्त की जा सकेगी यदि अलोटी भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार काश्त व सही उपयोग नही करेगा। आवंटन के समय अलोटी द्वारा सभी सूचनाये सही प्रकार से देगा सूचनाये असत्य पायी जावेगी तो आवंटन निरस्त माना जावेगा। भूमि का आवंटन उसी व्यक्ति को किया जावेगा जो उस गाँव का निवासी है जिस गाँव की भूमि का आवंटन किया जा रहा है। अलोटी की पात्रता मे यह भी उल्लेख है कि अलोटी भूमिहीन होगा उसके पास भारत में कही भी भूमि नही होगी अर्थात अलोटी भूमिहीन होगा तभी उसको भूमि अलोट की जा सकेगी । इन सभी नियमो के पीछे सरकार की कानून बनाते समय मनसा रही है कि ऐसे पात्र व्यक्ति जो दूसरो के खेतो मे मेहनत मजदूरी करते है उनके पास स्वंय के नाम कोई जमीन नही है तथा उस गाँव का निवासी है जहां भूमि अलोट की जानी है कमेटी के सदस्य उस क्षेत्र का विधायक, प्रधान, ग्राम सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि होंगे जिसके अलोटमेन्ट पर हस्ताक्षर होंगे ।

अप्रार्थी संख्या 1 को किये गये भूमि अलोटमेन्ट मे मातहत न्यायालय द्वारा किसी भी नियम की पालना नही की गई है तथा नियमो के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से साज कर भूमि का गलत रूप से अलॉटमेन्ट कर दिया। अलॉटमेन्ट कमेटी ने बिना कोई जाँच किये ही भूमि का अलॉट कर दिया मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह को कोई कब्जा नही संभलाया हल्का पटवारी ने केवल घर पर बैठकर ही कब्जा रिपोर्ट के गलत दस्तावेज तैयार किये है। अलॉटी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दी गई सभी सूचनाये गलत दी गयी थी जिसकी जाँच [illegible] अलॉटमेन्ट कमेटी का विधिक दायित्व था जो इस प्रकरण मे बिल्कुल भी नहीं किया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह द्वारा भूमि का आवेदन करते समय [illegible] आपको जगन का पुत्र दर्शाया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह पुत्र जगन न होकर रामसिंह पुत्र श्री नारायण गुर्जर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 14:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

यह बात अप्रार्थी संख्या 1 अच्छी प्रकार से जानता था किन्तु उसने चालाकी पूर्वक अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर के स्थान पर जगन लिख दिया जिसकी सही जाँच भी अलोट कमेटी द्वारा नही की गयी और बिना कोई जॉच किये मिली भगत से भूमि अलोटमेन्ट कर दिया गया । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह ने अपने पिता का नाम कई सरकारी दस्तावेजात मे श्रीनारायण ही लिखा है। अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है उसने गंगापुर सिटी के न्यायालयो में भी अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर ही अंकित किया है। अप्राथी संख्या 1 अपर जिला एवम् सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) गंगापुर सिटी में चले प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगैहरा सैशन प्रकरण संख्या 13/2001 अन्तर्गत धारा 363, 366, 366(क), 368 372, 376, 392, भारतीय दण्ड संहिता में मुलजिम रहा है जिसे माननीय न्यायलय ए०डी० जे० से दिनांक 21–11–2001 के निर्णय के अनुसार सात साल का कठोर कारावास की सजा व 1000/–रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया है प्रार्थी लख्खीराम के हक में लिखा गया समझौता पत्र का एक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प रामसिंह द्वारा दिनांक 6–7–2009 को खरीद किया गया उसमे अपना नाम, पता रामसिंह पुत्र श्रीनारायण लिखा है अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह को आपराधिक प्रकरण में हुई सजा पर केन्द्रीय कारागृह भरतपुर से हुई पैरोल अवकाश दिनांक 22–5–2003 से रामसिंह के पिता का नाम श्रीनारायण लिखा है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० गंगापुर सिटी में प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गैंदीलाल वगैहरा मुकदमा नम्बर 273/16 मे अप्रार्थी रामसिंह के हुए बयान दिनांक 11–8–2023 को रामसिंह ने अपना नाम पता रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा दर्ज करवाया था। ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे हुई पंच पंचायत में भी रामसिंह ने अपने पिता का नाम श्रीनारायण दर्ज करवाया है पाँच आदमियो के द्वारा पेश शपथ–पत्रो में रामसिंह के पिता का नाम श्रीनारायण लिखा है इस प्रकार ऐसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेजात है जिसमे रामसिंह के पिता का नाम जगन नही होकर श्रीनारायण लिखा हुआ है। अप्रार्थी संख्या आज दिन तक अपनी वलदयत के रूप मे अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर ही दर्ज कराता चला आ रहा है, इस प्रकार रामसिंह द्वारा अपनी वल्दियत छुपाकर उक्त आलैच्य अलोटमेन्ट करवाया गया है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है ।यह कि माननीय न्यायालय के सुलभ अवलोकनार्थ नियम 14(4) भू आवंटन 1970 को उधृत किया जा रहा है " **The collector shall have the power to cancel any allotment made by a sub&division office or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules either suo moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has com&mitted breach of any of the conditions of allotment"** इस प्रकार यह सुस्थापित है कि आवंटी रामसिंह ने अपने आपको जगन का पुत्र होना बताकर आवंटन प्राप्त किया है व फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन किया है ऐसे फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है चाहे उसे खातेदारी अधिकार मिल गये हो माननीय राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

मण्डल ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयो मे आवंटन निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए है। जिनमे से कुछ निर्णयो के साइटेशन निम्न प्रकार है:-

1-2018-19 (sup-) RRT पेज 338
2-2006 (1 RRT पेज 398
3-2007 (1) RRT पेज 193
4-RBJ (20) 2013 पेज 621

उपरोक्त न्याय दृष्टांतो मे स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया गया है कि फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन द्वारा करवाये गये अलोटमेंट को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकरण मे उपरोक्त सभी न्याय दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है ।

अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह द्वारा उक्त आलौच्य अलोटमेन्ट अपने आपको भूमिहीन बताकर साजिशी तौर पर यह अलोटमेन्ट अपने नाम करवाया गया है जबकि सच्चाई यह है कि उक्त रामसिंह पूर्व से ही भूमिधारी खातेदार कृषक रहा है उसके नाम ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे कृषि भूमि रही है ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के खाता संख्या पुराना 130 व खाता संख्या नया 133 में दर्ज खसरा नम्बर 774/312 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 821/762 रकबा 0.62 है0 कुल 0.99 है0 अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रही है। इसके अलावा ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास में भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पिता श्रीनारायण पुत्र प्रभू के नाम 30 बिघा जमीन है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा है। उक्त भूमि इस विवादित अलोटमेन्ट वर्ष 1986 व उससे पूर्व रामसिंह के हक में अलोट की गयी भूमि है। कमेटी व अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात की कोई पुष्टि नही करते हुए ही रामसिंह को उक्त भूमि अलोट कर दी जिससे कब्जाधारी प्रार्थी व अन्य भूमिहीन व्यक्तियो का नुकसान हो गया है। अलोटमेन्ट खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी रामसिंह को इस आवंटन दिनांक 4-6-1986 से पूर्व भूमि का आवंटन किया जा चुका था इस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा छिपाया गया है। आवंटन दिनांक 04.06.86 को भूमि आवंटन के समय आवंटी को कोई कब्जा नहीं दिया गया । आवंटी द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर भूमि पर कब्जा दिये जाने की रिपोर्ट दिनांक 29.09.93 को पटवारी हल्का से मिलकर खं0नं0 163 रकबा 0.21 है0 व खं0नं0 337 रकबा 1.00 है0 बनवायी गई। जबकि भूमि आवंटन के समय आवंटी को मौके पर भूमि पर कब्जा दिये जाने बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गयी। जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि आवंटन के समय मौके पर आवंटी का कोई कब्जा नहीं था बाद में बनवायी गई पटवारी हल्का [illegible] को खसरा नम्बर 163 व 337 में कब्जा होना दर्शाया है। जबकि आवंटन [illegible] आंवटी को भूमि खं0नं0 163 व 336 में भी आवंटन की गई है [illegible] आवंटनशुदा भूमि पर मौके पर कब्जा नहीं था। प्रार्थी [illegible] कब्जा रहा है। इसलिये उसे किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने के कारण [illegible] निरस्त होने योग्य है। यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

आवंटन समिति द्वारा भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व कोई अधिसूचना किसी भी समाचार पत्र या नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से नही दी गयी जबकि भूमि का आवंटन करने से 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर सूचना देना तथा राष्ट्रीय समाचार–पत्र मे अधिसूचना निकालना आवंटन नियमानुसार आवश्यक था ताकि आवंटन की जा रही भूमि पर कब्जाधारी व्यक्तियो की आपत्ति ली जा सके लेकिन इस आवंटन मे ऐसा नही किय जाकर चुपचाप तरीके से आवंटन कर दिया गया गया जिससे आवंटन समिति की मिलीभगत स्पष्टतः उजागर हुई है आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है ।

अप्रार्थी रामसिंह का यह कहना कि वह जगन के गोद गया बिल्कुल गलत है वह जगन के कभी गोद नहीं गया । यदि रामसिंह जगन के यहाँ गोद गया होता तो उसके द्वारा कोर्ट कचहरी एवं पाँच आदमियो के समक्ष अपने शपथ–पत्र मे रामसिंह पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर रामसिंह पुत्र जगन लिखवाता रामसिंह के सभी कागजात रामसिंह पुत्र श्रीनारायण के नाम से ही दिये जाते रहे है । रामसिंह ने संपूर्ण आवंटन की कार्यवाही मे छल कपट को अपनाते हुए उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम करवाया है और इस छल कपट की कोई छानवीन भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई आवंटन निरस्तनीय है । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह का यह कहना कि प्रभू के केवल तीन लडके श्रीनारायण, जगन व मूलचन्द हुए व अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह जगन के गोद चल गया बिल्कुल गलत है जबकि सही बात यह है कि प्रार्थी के बाबा प्रभू के पांच पुत्र श्रीनारायण जगन, मूलचन्द, प्यारसिंह, नादान हुए जिनमे से जगन, नादान व प्यारसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है और इनके हिस्से की भूमि का विभाजन प्रभू के शेष जिन्दा वारिसान श्रीनारायण व मूलचन्द के हिस्से मे 1/2 भाग मे विभाजित हो गयी। यदि अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह जगन के गोद गया होता तो निश्चित रूप से जगन के हिस्से की भूमि रामसिंह के नाम खातेदारी मे दर्ज हो जाती क्योकि रामसिंह को जगन ने अपने जीवनकाल मे गोद लिया ही नही था। प्रार्थी लक्खीराम ने अपने तथ्यो के समर्थन मे ग्रामवासियो व अन्य व्यक्तियो के शपथ–पत्र पेश किये है जिनसे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 जगन के कभी गोद नही गया और उसने अप्रार्थी संख्या 1द्वारा अलोटमेंट कराते समय फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर मिथ्या तथ्यो का सहारा लेकर जो अलोटमेंट करवाया है वो निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह पुत्र जगन जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के हक मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1986 मु0नं0 413 न्यायालय एस.डी.ओ. गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन की गयी भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.21 है0 व खं0नं0. 336 रकबा 1.00 है0 जो बाद में संशोधित कर ख0नं0 337 रकबा 1.00 है0 ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास का आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि को राजकीय भूमि मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बामनवास को देने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के भाई लक्खीराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय मे आवंटन निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्राथर्थी संख्या 1 के हक में आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 0.21 है0 व खसरा नम्बर 336 रकबा 1.00 है० स्थित ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास दिनांक 04/06/1986 को गलत रूप से आंवटित किया गया था। जिसमे प्रार्थी को किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की प्रार्थना की है। जिसमे प्रार्थी के आक्षेप निम्न है:—आवटंन आदेश का फार्म संख्या 5 जारी नही किया गया। आवंटन की दिनांक अंकित नहीं की गई। आवंटन फाईल पर एसडीओ गंगापुर सिटी के हस्ताक्षर नही है। आवंटन की घोषणा जारी नही की गई, छल कपट व मिथ्या अभिवचन अंकित करते हुये आवंटन करवाया गया है। आवंटी के पिता का नाम श्रीनारायण है जबकि आवंटन रामसिंह पत्र जगन के नाम से करवाया है, हस्ताक्षर भिन्न है। उपरोक्त सभी आक्षेप गलत एवं निराधार है एवं महज रंजिशवश, अप्रार्थी आवंटी की भूमि को हडपने की गरज से झूठे एवं निराधार आरोप लगाये गये है। जबकि सही स्थिती है कि प्रार्थी को जो आवंटन किया गया था। वह सही एवं नियमानुसार किया गया था। प्रार्थी अप्रार्थी आवंटी का सगा भाई है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसी से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 8 में प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के नाम से आवंटन करवाया है उस भूमि पर हमेशा प्रार्थी का कब्जा रहा है। रामसिंह ने गलत रूप से भूमि का आवंटन गलत रूप से अपने नाम करवा लिया जबकि उक्त आवंटन प्रार्थी के नाम होना चाहिए था। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से यह कहा कि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन भूमि प्रार्थी के नाम नही करवायी जिस पर विवाद होने पर दोनो भाईया के मध्य दिनांक 06/07/2009 को एक समझौता 50/—रूपये के स्टाम्प पर तहरीर एवं तकमील किया गया। जिसमे यह अंकित किया गया कि भूमि आज दिनांक को जिसके कब्जे मे है उसी के कब्जे मे रहेगी।दोनो भाई विवाद नहीं करेगे। परन्तु रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। इसलिये प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष गलत एंव निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 22/06/2012 को अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी, व मूलचन्द भाई रूपसिंह के मध्य राजीनामा हुआ था। जिसमे यह तय हुआ था कि रामसिंह व लक्खी के पास 6 बीघा जमीन ज्यादा थी। उसमे से 2 बीघा जमीन मूलचन्द को दिलायी और मूलचन्द रामसिंह के अलोटमेन्ट को जोत रहा है। जिसे जोतता रहेगा। रामसिंह मूलचन्द को बालाजी अलोटमेन्ट वाली जमीन मे से 5 ऐयर जमीन और देगा। लक्खी रामसिंह को 5 ऐयर जमीन देगा। मूलचन्द के [illegible] लक्खी के नाम रजिस्ट्री करवायेगा, खाते की जमीन 1/3 रहेगी। ती[illegible] आप[illegible] मे फसल के लिये पानी देगे, रास्ता नही रोकेगे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र मे [illegible] लगाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन 04/06/1986 को हुआ था। [illegible] आवंटन को निरस्त करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

लिये 38 साल पश्चात् गलत एवं निराधार तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है अगर कोई धोखाधडी और बेईमानी होती तो प्रार्थी आवंटन के समय ही ऐतराज कर सकता था एवं आवंटन होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था।

अप्रार्थी संख्या के पक्ष में आवंटन नियमानुसार किया गया था यदि कोई कागजो में कमी रही है तो वह अवैधानिक का नही है। आवंटन के तुरन्त पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा संभला दिया था एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन नियमो का पालन करते हुये उक्त भूमी मे काश्त करता चला आ रहा है। नियमानुसार प्रार्थी के हक में पहले गैरखातेदारी दर्ज की थी एवं तत्पश्चात् खातेदारी दर्ज की गई है एवं प्रार्थी के हक में खातेदारी दर्ज हुये है एवं खातेदारी दर्ज हुये करीब 28 वर्ष का अरसा हो चूका है। आवंटन निरस्त नही किया जा सकता उपरोक्त संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय सुरजन बनाम हनुमान 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 185, काना बनाम प्रकाशी बाई 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 312, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रतनसिंह 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 431, हबीब बनाम चन्दर सिंह वर्ग) 2024(2) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 941, देवकिशन बनाम भजन 2024(2) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 1166, उपरोक्त न्याय दृष्टोन्तो मे स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि लम्बे समय पश्चात् एवं खातेदारी होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं धोखाधडी सम्बन्धी आपक्षेपो को भी निर्णित किया गया है। प्रार्थी के बाबा प्रभू के तीन लडके श्रीनारायण, जगन व मूलचन्द है जिसमे श्रीनारायण के दो पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 है। जगन माह सुदी एकदशी सम्बत् 2024 को लाऔलाद फौत हे गया था। जगन ने अपने जीवन काल में ही अप्रार्थी को गोद ले लिया था। एवं जगन की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने ही उसके सारे कियाक्रम बतोर पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 ने किये थे एवं जगन की पगडी भी अप्रार्थी संख्या के बधी थी। पगडी की रस्म से पहले नातेदारी रिश्तेदार जाति बिरादरी व गाँव के पंच पटेलो मे भी यह मामला निर्णित हुआ था कि अप्रार्थी संख्या 1 जगन का दत्तक पुत्र होने के नाते वारिस रहेगा। ऐसी स्थिती मे अप्रार्थी संख्या 1 ना तो किसी प्रकार के तथ्य छुपाये गये है ना ही कोई गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 के आधार कार्ड संख्या 5845 0296 4582 का अवलोकन करे जिसमे प्रार्थी की बलदियत मे प्रार्थी के पिता का नाम जगनलाल दर्ज है। जो स्व० जगन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् का ही बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या के शिक्षा अभिलेख स्व० जगन की मृत्यु के पूर्व का है जिसमे प्रार्थी के पिता के रूप में प्राकृतिक पिता का नाम बलदियत में दर्ज है। कभी भी बलदियल को सही कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना ही पिता का परिवर्तन का कोई प्रावधान है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी [illegible] पिता दोनो के नाम का उपयोग होता रहा है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा किसी [illegible] फर्जीयत या धोखाधडी नहीं की है। उपरोक्त तथ्य सही है यह बात [illegible] तथ्यो को छुपाकर गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो [illegible] किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने तथ्यो के समर्थन में ग्राम वासीयो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार है। उपरोक्त संदर्भ में मूलचन्द उर्फ मूल्या उर्फ मूला पुत्र प्रभू द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मे उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दावा पेश किया गया है जो विचाराधीन है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब दावा विचाराधीन हो ऐसी स्थिती मे उपरोक्त संदर्भित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया नहीं जा सकता। उक्त आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी बहस में रामसिंह के पिता का नाम श्री नारायण होना तथा रामसिंह जगन के गोद नही जाना अंकित किया है। साथ ही प्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटन के समय तथ्य छुपाना, आवंटन भूमि के समय से पूर्व से परिवार के पास खातेदारी भूमि होना अंकित किया है। जबकि आवंटी (अप्रार्थी) पक्ष द्वारा उक्त आवंटन विधि अनुरूप तथा पूर्ण कोरम की अभिशंषा पर होना अवगत कराया है। साथ ही दोनो पक्षों द्वारा ग्रामवासियों के कुछ व्यक्तियों के अपने-अपने पक्ष में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए है। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया।

1. प्रार्थी द्वारा आवंटी के पिता का नाम जगन ना होकर श्रीनारायण होना अंकित किया है। भारतीय उत्तराधीकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के तहत आवंटी का वास्तविक पिता जगन है अथवा श्रीनारायण ? इसका विनिश्चयन सक्षम सैशन न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किसी भी प्रकार का आदेश/निर्णय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

2. प्रार्थी द्वारा आवंटी रामसिंह कभी भी जगन के गोद(दत्तक) नही जाना अंकित किया है। आवंटी रामसिंह जगन के गोद गया या नही यह तय करने के लिए राजस्व न्यायालय अधिकृत नही है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा किसी भी गोदनामा के फर्जी होने संबंधी डिक्री भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही की है।

3. प्रार्थी द्वारा अवगत कराया है कि आवंटी द्वारा आवंटन आदेश के समय तथ्य छुपाये है। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन के समय सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था तथा आवंटन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

4. प्रार्थी पक्ष ने अवगत कराया कि आवंटन के समय आवंटी के परिवार में पूर्व से खातेदारी भूमि स्थित थी। प्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटी के पास स्थित पूर्व में खातेदारी भूमि का कोई दस्तावेज/साक्ष्य/राजस्व अभिलेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही किए है।

5. प्रार्थी पक्ष ने अपनी अपील के साथ समझौता नामा (इकरार नामा) 50 रू के स्टाम्प पर पेश किया है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के हस्ताक्षर निशानी अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त समझौता नामा का तय सक्षम सिविल न्यायालय में किया जाना है।

<u>पंजीयन अधिनियम 1908</u>:—पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के तहत 100/— रू0 से ज्यादा मूल की अचल संपत्ति <u>के</u> अनिवार्य रूप से पंजीयत **(mandatory Registration)** का प्रावधान है।

<u>Section 17 of the Registration Act, 1908,</u>

mandates the compulsory registration of specific documents to ensure legal validity and prevent fraud, primarily concerning immovable property transactions worth ₹100 or more. Key documents include gifts of immovable property, non-testamentary instruments transferring rights/titles, and leases for over one year.

साथ ही अधिनियम की धारा 49 के तहत अपंजीकृत दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्यता विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती है।

<u>Section 49 of the Registration Act, 1908</u>

dictates that documents requiring mandatory registration (under Section 17 or the Transfer of Property Act) cannot legally affect immovable property, confer adoption powers, or be received as evidence of such transactions in court unless they are duly registered

6. प्रार्थी पक्ष द्वारा पुखराज गुर्जर पुत्र मीठालाल जाति गुर्जर, रमेश गुर्जर पुत्र अम्मालाल जाति गुर्जर, कैलाश पुत्र रामप्रसाद जाति [illegible] बाबूलाल पुत्र रंगलाल गुर्जर, श्रीनारायण पुत्र सुखचन्द गुर्जर, [illegible] पुत्र [illegible] गुर्जर, मिश्री देवी पत्नि रामेश्वर गुर्जर, रसाल देवी उर्फ [illegible] पुत्री श्रीनारायण, सजन्ती उर्फ केसन्ता पुत्री श्रीनारायण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा जोघराज पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

राधामोहन, हरिसिंह पुत्र शंकरलाल, पुखराज पुत्र कंचन जाति गुर्जर, पुखराज पुत्र मीठालाल जाति गुर्जर, मुरारीलाल पुत्र गोरया जाति गुर्जर, हरिराम पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर, पुखराज पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर, रामकिशोर पुत्र छीतरमल जाति गुर्जर, शिवलाल पुत्र कजोडमल जाति गुर्जर, रमेश पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर, गिर्राज पुत्र गूजरमल जाति गुर्जर, रामराज पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर, विजयसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गुर्जर, सरदार पुत्र मिश्रीलाल जाति गुर्जर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कैलाश पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर ने अंकित किया है कि रामसिंह कभी जगन के गोद नहीं गया क्योंकि मै इनको भलीभांति जानता हूं तथा मेरे सामने या मेरी निजी जानकारी में यह कभी नहीं आया कि रामसिंह पुत्र श्रीनारायण को कभी ज़गन ने गोद लिया हो। बाबूलाल गुर्जर पुत्र रंगलाल गुर्जर ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि रामसिंह कभी जगन के गोद नहीं गया क्योंकि मै इनको भलीभांति जानता हूं तथा मेरे सामने मेरी निजी जानकारी में यह कभी नहीं आया कि रामसिंह पुत्र श्रीनारायण को कभी जगन ने गोद लिया है। श्रीनारायण पुत्र सुखचन्द ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि रामसिंह कभी जगन के गोद नहीं गया क्योंकि मै इनको भलीभांति जानता हूं तथा मेरे सामने या मेरी निजी जानकारी में यह कभी नहीं आया कि रामसिंह पुत्र श्रीनारायण को कभी जगन ने गोद लिया हो। श्रीनारायण के छः वारिस समान रूप से हिस्सा 1/6–1/6 पर काबिज है, जिससे हिस्से 1/6 पर रामसिंह काबिज रहकर काश्त कर रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में गिर्राज प्रसाद पुत्र गुजरमल जाति गुर्जर द्वारा अंकित किया गया है कि रामसिंह वगै0 के पूर्वज प्रभू पुत्र सुगनपाल गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा थे, उनके तीन पुत्र है, श्रीनारायण,जगन व मूलचन्द्र जिनमें से श्रीनारायण व जगन स्वर्गवासी हो चुके है। श्रीनारायण की पगड़ी पुत्र लक्खीराम के बंधी है तथा जगन की पगड़ी गोद पुत्र रामसिंह के बंधी है तथा लक्खीराम, रामसिंह पुत्र मूलचन्द्र के बीच पारिवारिक पैतृक भूमि का बॅटवारा दिनांक 22.06.2012 को राजीखुशी हो गया था। रामसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि श्रीनारायण की पगड़ी लक्खीराम के बंधी है तथा जगन की पगड़ी गोद पुत्र रामसिंह के बंधी है। प्रभू पुत्र सुगनपाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारीयों की गलती से श्रीनारायण, जगन व मूलचन्द्र तीनों के नाम न खुलकर केवल श्रीनारायण व मूलचन्द [illegible] खुल गया जबकि मौके पर प्रभू पुत्र सुगनपाल की जमीन पर लक्खीराम, [illegible]सिंह व मूलचन्द्र 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ [illegible] है। रामसिंह को रामसिंह पुत्र जगन के नाम से कुछ जमीन भी [illegible] हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 18/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

उक्त शपथ पत्रों के आधार पर दौनों पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। यदि किसी व्यक्ति. द्वारा गलत शपथ प्रस्तुत किया गया है तो पीड़ित पक्षकार स्थानीय पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराने हेतु स्वतंत्र है।

ऐसी स्थिति प्रार्थी पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बहस में अंकित किए गए तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि खातेदारी भूमि दर्ज हो चुकी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:24 IST
Reason: SelfAttested